सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/12 **निर्णय दिनांकः 08.07.2019**

1. सत्यनारायण पुत्र उमाराम जाति ब्राहमण निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. हुक्माराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17—01—1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु बीकानेर के आदेश दिनांक 17—01—1985 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाबालिग के रूप में पुख्ता आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एक जागरूक नागरिक है तथा चक 10 एलकेडी के तहसील लूणकरनसर का सदभावी केता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भू—माफिया के प्रभाव से

अपीलांट को उसकी खरीदशुदा भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा नाबालिग के रूप में चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 110/6 के किला नम्बर 9, 10 व 11 की 2 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 110/18 के किला नम्बर 11 ता 13, 20 की 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 90/62 के किला नम्बर 12 ता 15, 19 व 23 में 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 8 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि तथा 12 बीघा बारानी भूमि खसरा नम्बर 356 नाथवाणा दिनांक 17—01—1985 को पुख्ता आवंटन करवाई गई है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए करवाया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट लूणकरनसर तहसील का एक जागरूक नागरिक है तथा चक 10 एलकेडी के तहसील लूणकरनसर का सदभावी क्रेता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नाबालिग के रूप में चक 10 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 110/6 के किला नम्बर 9, 10 व 11 की 2 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 110/18 के किला नम्बर 11 ता 13, 20 की 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 90/62 के किला नम्बर 12 ता 15, 19 व 23 में 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 8 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि तथा 12 बीघा बारानी भूमि खसरा नम्बर 356 नाथवाणा दिनांक 17—01—1985 को पुख्ता आवंटन करवाई गई है। उक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए करवाया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के पिता को तत्समय कमीपूर्ति में आवंटन हो चुका था। ऐसी स्थिति में आवंटन नियम 13 (5) सी के तहत रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सांठ गांठ करते हुए उक्त आवंटन करवाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र पर अपनी उम्र को छिपाया गया है। तत्समय वह नाबालिग था तथा आवंटन नियमों में नाबालिग पुत्र आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र एवं

शपथ पत्र पर अंकित अंगूठा निशानी भी भिन्न—भिन्न व्यक्तियों द्वारा लगाये गये स्पष्ट रूप से प्रतीत होते है। जिसकी जॉच की जानी आवश्यक है। इस प्रकार तमाम कार्यवाही राज्य सरकार को हानि पहुॅचानें की नियत मात्र से की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से विधि के विरूद्व जाकर कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जॉच नहीं की गई। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—01—1985 के विरूद्व अपील दिनांक 12—04—12 को पेश की है। जोकि करीब 27 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक व युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। इसलिए अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है क्योंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई हितबद्व पक्षकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वे उक्त भूमि से किस प्रकार हितबद्व है। केवल मात्र जागरूक नागरिक लिख देने से रेस्पोडेन्ट के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि

वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 17—01—1985 को आवंटन की गई थी। आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट कृषि पेशा तथा बालिग व्यक्ति था। इस संबंध में उन्होंने लूणकरनसर विधानसभी की वोटर लिस्ट 1988 जिसमें रेस्पोडेन्ट की उम्र 24 वर्ष दर्शाई गई है की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया। इस क्रम में उन्होंने राजस्थान सरकार क आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्ट की जन्मतिथि 01—01—1964 अंकित है। उक्त तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट की उम्र 21 वर्ष थी। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अपील प्रस्तुत की गई है। जिसका कानूनी रूप से अपीलांट को कतई अधिकार हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम सबूतों की जॉच के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं हैं अतः अपीलांट की अपील मियांद बिन्दु के साथ—साथ लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—01—1985 के विरूद्व अपील दिनांक 12—04—12 को पेश की है। जोकि करीब 27 वर्ष विलम्ब से पेश की है। मियांद के बिन्दु पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण अंकित किये गये है वह 27 वर्ष के विलम्ब को कण्डोन करने के लिये संतोषजनक व युक्तियुक्त कारण नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट आवंटी के अधिकार स्थापित हुए दो दशक से भी अधिक का समय हो चुका हैं इतनी लम्बी अवधि के बाद अपील पेश करना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर धोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हितों का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है।

अपीलांट स्वयं ने अपील मीमों में अंकित किया है कि वह एक जागरूक नागरिक है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र जागरूक नागरिक बताकर अपील पेश करना व जागरूक नागरिक होने से किसी के पक्ष में स्थापित अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में अपीलांट अपने हितों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का हितबद्व पक्षकार नहीं होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

8. अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ—साथ लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—01—1985 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर